## प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों में मार्किंग योजनाओं और प्रश्नवार विश्लेषण के साथ प्रश्न–पत्रों का ब्ल्यू प्रिंट शामिल होता है। ईससे विद्यार्थियों और अध्यापकों को प्रश्न–पत्रों के पैटर्न, विभिन्न विषयों के लिए निध ार्ारित अंक, विषयपरक निर्देश एवं कठिनाईयों के संबध में जानकारी मिलती है। इस वर्ष मुख्य विषयो में मूल्य अंकों सहित प्रश्न–पत्रों के नये डिजाइन पर आधारित प्रतिदर्श प्रश्न–पत्र तैयार किए गए।

## अंकन योजनाऐं

वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा मुख्य विषयों में विकसित अंकन योजनाओं के सघन अभ्यास किये जाते है। इससे अध्यापकों और विद्यार्थियों को विषयों के पाठ्यक्रम और महत्व को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने, प्रश्नों को समझने, कठिनाइयों को नोट करने और अंक योजना के अर्न्तगत प्रश्नों की समीक्षा के अवसर प्राप्त होते है ।

कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर आधारित प्रमुख विषयों में अंकन योजनाएं उपलब्ध करवाई गई।

## निर्विध्न मूल्यांकन

(क) **चीफ नोडल सुपरवाईजरः** जिन शहरों में विद्यालयों की संख्या अधिक थी और एक विषय में तीन या इससे अधिक मुख्य परीक्षक थे उनमें मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा इस वर्ष भी विद्यालय के प्राचार्यों को चीफ नोडल सुपरवाईजर के रूप में नियुक्त किया गया। चीफ नोडल सुपरवाईजर उसी विषय के प्रभारी थे जिस विषय में उन्होंने पी.जी.टी. या प्राचार्य के रूप में शिक्षण किया था या कर रहे थे। इससे मूल्यांकन कार्य के उचित प्रबंधन, पर्यवेक्षण और उसे समय पर पूरा करने में सहायता मिली।

## Sample Question Papers

The sample papers contain the blue print of question papers along with their marking schemes and question wise analysis. This gives advantage to the teachers and students to learn about the pattern of question papers and the weightage assigned to different topics, instructional objectives and difficulty level. The sample question papers were prepared and made available in all major subjects this year.

## Marking Schemes

To ensure objective and reliable evaluation, the Board undertakes extensive exercise of developing Marking Schemes in main subjects. This gives an opportunity to teachers and students to go through the syllabus and weightage for subjects carefully comprehend the questions and note down the difficulties and examine the questions in conjunction with the Marking Scheme.

Marking Schemes in major subjects were made available in class X & XII.

## Smooth evaluation

(a) **Chief nodal supervisors:** This year also school principals were appointed as Chief Nodal Supervisors for evaluation purpose in cities where the number of schools was large and three or more Head Examiners were involved in a subject. The Chief Nodal Supervisors were put in charge of the same subject, which he or she had taught or had been teaching as PGT or Principal. This ensured proper manageability, supervision and timely completion of evaluation work.

(ख) **पर्यवेक्षण–सारणीः** प्रश्न–पत्रों के न्यायसंगत लेन–देन और परीक्षार्थियों की संगत शिकायतों के निपटान हेतु इस वर्ष भी सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को पर्यवेक्षण प्रपत्र भेजे गए जिससे वे संबंधित विषय की परीक्षा के आयोजन के 24 घंटे के भीतर अपने सुझाव दर्ज कर अग्रेषित कर सकें ताकि अंकन–योजना तैयार करते समय विशेषज्ञों द्वारा उन पर विचार किया जा सकें।

(ग) **अनिवार्य मूल्यांकनः** मूल्यांकन के लिए चयन किए गए शिक्षकों को बोर्ड द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें निर्धारित तिथि एवं समय पर रिर्पोट करना होगा अन्यथा उनके वार्षिक अभिलेख में इसकी प्रविष्ठि की जायेगी। इसके अलावा बिना किसी उचित कारण शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने पर दोषी संस्थान के परिणाम रोके जा सकते थे तथा ऐसे स्कूलों की सम्बद्वता रद्द करने पर विचार किया जा सकता था। तथापि अच्छे सहयोग की भी रिकार्ड में प्रविष्टि का प्रावधान था।

**शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, ऑटिज़्म, भाषण अक्षमता, संस्तंभी और पर्सन विद डिसेबिलिटि एक्ट 1995 मे परिभाषित अशक्तता वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधाएंः**

01. मिडिल स्कूल (अर्थात आठवीं कक्षा) स्तर तक तृतीय भाषा के अध्ययन से छूट।

02. सेकेन्ड्री स्कूल स्तर पर एक छात्र के लिए एक भाषा और निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से कोई चार लेने का विकल्प हैः

गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेटिंग, गृह विज्ञान, एवं प्रारंभिक सूचना प्रौद्योगिकी, कॉमर्स, (ऐलिमेन्टस ऑफ कॉमर्स) एवं कॉमर्स (ऐलिमेन्टस बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी)।

(b) **Observation Schedules:** To give fair deal to the question papers and redress genuine grievances of the students, observation schedules were sent to all the schools principals to record and forward their suggestions within 24 hours of the conduct of examination of concerned subject so that these could be considered by the expert group while preparing the marking schemes.

(c) **Mandatory Evaluation:** All schools were informed that teachers selected for evaluation work had to report on the appointed date and time failing which a mention will be made in their annual records. Non-release of teachers by any school without any valid reason could lead to withholding the result of the defaulting institution and the Board could also consider and initiate disaffiliation proceedings. However, special mention would be made in the personal records in case of those extending willing and effective cooperation .

**Exemptions Given to Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and Candidates with Disabilities as Defined in the Persons with Disabilities Act, 1995:**

1. Exemption from studying third language up to middle school level (i.e. Class VIII).

2. At Secondary School level a candidate has an option to opt for one language and any four of the following electives.

Mathematics, Science, Social Science, another Language, Music, Painting, Home Science, Introductory Information Technology, Commerce (Elements of Commerce) and Commerce (Elements of Book Keeping and Accountancy)

03. लेखन सहायक के प्रयोग की अनुमति।

04. लेखन सहायक परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी से छोटी कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिये।

05. परीक्षा केन्द्र अधीक्षक उपयुक्त लेखन सहायक चुनकर उसका विवरण विचारार्थ और अनुमोदन के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भेजेगा।

06. उपरोक्त श्रेणी के विशेष विधार्थियों को लेखन सहायक की सेवायें निःशुल्क प्राप्त होगी।

07. लेखन सहायक को बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा जो इस समय रू0 100/– प्रति दिन है।

08. परीक्षार्थियों को सभी या किसी भी एक पेपर में लेखन सहायक की अनुमति दी जाती है।

09. यदि परीक्षार्थियों को डाईग्राम इत्यादि स्वयं बनाने की इच्छा हो तो यह अनुमति दी जा सकती है।

10. कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले विशेष श्रेणी के विद्यार्थियों को नये नियम के अनुसार निम्नानुसार अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगीः

क) तीन घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 60 मिनट।

ख) ढाई घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 50 मिनट।

ग) दो घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 40 मिनट।

घ) डेढ़ घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 30 मिनट।

3. Permission to use an amanuensis.

4. The Amanuensis is a student of class lower than the one for which the candidate will be taking the examination.

5. The Centre Superintendent of the Examination Centre chooses a suitable amanuensis and forwards his/her particulars to the Regional Officer concerned for consideration and approval.

6. The services of amanuensis are provided free of cost to the above mentioned categories of candidates.

7. The amanuensis shall be paid remuneration as prescribed from time to time by the Board, which at present is Rs.100/- per day.

8. The candidate may be permitted to use the services of an amanuensis in all or any of the papers.

9. The candidate may be permitted to draw the diagrams etc. themselves, if desired by them.

10. As per the new rule the special category students appearing for X or XII examination shall be allowed additional time as given below:

(i) Sixty minutes for a paper of three hours duration.

(ii) Fifty minutes for a paper of 2 ½ hours duration.

(iii) Forty minutes for a paper of two hours duration.

(iv) Thirty minutes for a paper of 1 ½ hours duration.

11. केन्द्र अधीक्षक उपरोक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था जहां तक संभव हो भूतल पर करेगें।
12. कक्षा 10वीं के कम्यूनिकेटिव इंगिलश और सामान्य विज्ञान विषय में तथा कक्षा 12वीं में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए दृश्य प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं।
13. क्षीणदृष्टि वाले परीक्षार्थियों को कक्षा 10वीं में विज्ञान और गणित के लिए बड़े प्रिंट में अलग से प्रश्न–पत्र दिये जाते हैं ।
14. केन्द्र अधीक्षकों को विशेष वर्ग के परीक्षार्थियों की उत्तर–पुस्तिकाओं को एक अलग कवर में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए जाते हैं।
15. इन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ चुने हुए विद्यालयों को ही परीक्षा कैन्द्र बनाया जाता है।
16. दिल्ली में नेत्रहीन परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए कम्प्यूटर या टाइपराइटर के प्रयोग करने की सुविधा है।
17. नेत्रहीन विद्यालयों के अध्यापकों को ही सहायक अधीक्षक (निरीक्षक) के रूप में परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किया जाता है। तथापि सावधानी के तौर पर भिन्न दिनों में भिन्न विषयों के अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं।
18. शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए उत्तर–पुस्तिका के ऊपर पृष्ठ पर एक अलग कॉलम दर्शाया गया है ताकि ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को अलग से भिजवाया जा सके।
19. परीक्षार्थियों के लिए गणना का कार्य स्वयं करना अनिवार्य नहीं है।

11. The Centre Superintendent shall make the sitting arrangements for special category candidates on the ground floor, as far as possible.
12. Alternative type questions are provided in lieu of questions having visual inputs for the blind candidates in English Communicative and Social Science for Class X and History, Geography and Economics and Political Science for Class XII.
13. Separate question papers in enlarged print for Mathematics and Science in Class X are provided for candidates having visual impairment.
14. The Centre Superintendent(s) are directed to send the answer books of special category students in separate covers to the concerned Regional Office .
15. To facilitate easy access, a few selected schools are made examination centres for special students.
16. Blind candidates from Delhi have the facility to use computer or a typewriter for writing answers.
17. Teachers from blind schools are appointed as Assistant Superintendent(s) (Invigilators) at the special examination centres. However, precaution is taken to appoint different subject teachers on different days.
18. A separate column has been provided on the title page of the answer book for indicating the category of physically challenged candidates so that these answer books could be segregated for sending them separately to the Regional Office of the Board.
19. It is not mandatory for these candidates to do the calculations themselves.

# सीबीएसई कांउसलिंग
# CBSE Counselling

सीबीएसई ने यह अग्रगामी सामुदायिक कार्य 12 वर्ष पूर्व 1998 में पहली बार टेलीकाउंसलिंग से आरंभ किया था। सीबीएसई टेलीकाउंसलिंग की विशिष्टताएं हैं कि:

1) यह सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रशिक्षित काउंसलरों द्वारा संचालित की जाती है।
2) प्रतिभागियों द्वारा यह सेवा स्वैच्छिक एवं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

## प्रथम चरणः पूर्व परीक्षा कांउसलिंग

इस वर्ष सीबीएसई से सम्बद्ध राजकीय और प्राइवेट विद्यालयों के 43 प्राचार्य, प्रशिक्षित काउंसलर मनोवैज्ञानिक और समाज–वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत रूप से इस हेल्पलाइन को भारत तथा विदेशों में संचालित किया। भारत में दिल्ली, नौएडा, चण्डीगढ़, मेरठ, जयपुर, गुडगांव, फरीदाबाद, भुवनेश्वर, विशाखापट्नम, जामनगर, जबलपुर, कोयम्बटूर शहरों, और पहली बार छः नये शहरों, भोपाल, नागपुर, बंगलौर, गुवाहाटी, बड़ौदा तथा कोलम समेत 39 केन्द्र थे। भारत से बाहर दुबई, कुवैत, दोहा–कतर, शारजाह में चार हेल्पलाइन केन्द्र बनाए गए।

## विशेष वर्ग के बच्चों के लिये पहली हेल्पलाइन

पहली बार सीबीएसई ने मुम्बई व दिल्ली में स्थित केन्द्रों पर विशेष वर्ग के बच्चों के लिए विशेष वर्ग के प्रशिक्षित शिक्षकों को शामिल किया।

## द्वितीय चरणः परिणाम के बाद काउंसलिंग

यह सेवाएं 37 प्राचार्य, काउंसलर इत्यादि देश के 18 केन्दों तथा देश से बाहर तीन केन्द्रों से प्रदान की गई।

The Central Board of Secondary Education started the pioneering community in counseling work 12 years back in 1998 for the first time. The highlights of CBSE tele-counselling are that:

(i) It is offered by trained counsellors and principals from within CBSE affiliated schools.

(ii) It is a voluntary free of cost service provided by the participants.

## Ist Phase: Pre Examination Counselling

As many as 43 principals, trained counsellors from CBSE affiliated Government and private schools, psychologists and social scientists operated this helpline individually from India and overseas. There were 39 centres in India in the cities of Delhi, Noida, Chandigarh, Meerut, Jaipur, Gurgaon, Faridabad, Bhubaneshwar, Vishakhapatnam, Jamnagar, Jabalpur, Coimbatore and for the first time from six new cities of Bhopal, Nagpur, Bangalore, Guwahati, Baroda and Kollam. There were four helpline centres outside India at Kuwait, Dubai, Doha Qatar and Sharjah.

## First Helpline for Special Children

For the first time, CBSE included Special Educators to take care of the specially abled children from centres located at Mumbai and Delhi.

## IInd Phase: Post Result Counselling

As many as 37 Principals and counselors operated CBSE Tele Helpline during the second phase from 18 centres spread over the country. Three centers were setup outside the country in Dubai, Doha-Qatar and Kuwait.

## आई वी आर एस (इंटरएक्टीव वायस रिसपांस सिस्टम)

देश में किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई यह पहली सुविधा है। सीबीएसई ने इन्टरएक्टिव वायस रिसपान्स सिस्टम'' (आई वी आर एस) पद्धति द्वारा टेलीकाउंसलिंग निरंतर पांचवे वर्ष उपलब्ध करवाए जाने के प्रयास किए।

## ऑन लाइन काउंसलिंग

## अध्यक्ष के साथ बातचीत

अध्यक्ष के साथ बातचीत शैक्षणिक, परीक्षा से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार करने के संबंध में यह उपयोगी सिद्ध हुआ। प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए सेवायें अधिक सूचना प्रद बनाने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए गए।

**सीबीएसई वेबसाईटः** परिणाम के बाद की स्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सीबीएसई की वेबसाईट पर उपलब्ध कराएं गए।

**प्रश्न–उत्तर कॉलम**

सीबीएसई नें साप्ताहिक प्रश्न उत्तर कॉलम के लिए प्रमुख राष्ट्रीय समाचार–पत्रों जैसे–दी इन्डियन ऐक्सप्रेस, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स तथा हिन्दुस्तान दैनिक जैसे समाचार पत्रों से भी सहभागिता की।

## 22वीं अखिल भारतीय प्री मेडिकल/प्री डैंटल प्रवेश परीक्षा

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में 22 वीं अखिल भारतीय प्री मेडिकल/प्री डैंटल प्रवेश परीक्षा दो चरणों में 5 अप्रैल (प्रारंभिक) तथा 10 मई 2009 (मुख्य) को संपन्न हुई। प्रारंभिक परीक्षा में 238 परीक्षा केन्द्रों पद 135617 मुख्य परीक्षा के लिए 13024 परीक्षार्थी बैठे तथा 4263 परीक्षार्थी सफल हुये।

## IVRS (Interactive Voice Response System)

First to be introduced by any Board of Education in the country, CBSE made a unique effort to provide tele-counselling through Interactive Voice Response System (IVRS) mode for the fifth consecutive year.

## Online Counselling

## Interact with Chairman

This proved to be useful in dealing with several issues related to academic, examinations. Frequently asked questions were prepared to facilitate the users and to make the service more informative.

**CBSE Website:** Techniques to cope with exam related anxiety were provided at the CBSE website.

**Question-Answer Columns**

The Central Board of Secondary Education collaborated with national papers like Indian Express, Hindu, Hindustan Times and Hindustan Dainik for weekly Question Answer columns.

## 22nd All India Pre-Medical/ Pre-Dental Entrance Examination

In pursuance of the Supreme Court of India directive, the 22nd All India Pre-Medical/ Pre-Dental Entrance Examination was conducted in two phases on 5 April (preliminary) & on 10 May 2009 (final). 135617 candidates appeared in the preliminary held in 238 examination centres. 13024 candidates qualified for the final examination. 4263 candidates were placed in merit and wait list.

## आठवीं अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा

8वीं अखिल भारतीय इंजीनियरींग प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल 2009 को आयोजित की गई। यह परीक्षा 85 शहरों में स्थित 1460 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई। जिसमें रियाद और दुबई भी शामिल थे। पंजीकृत 1010061 परीक्षार्थियों में से 962119 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अंतर्गत कार्रवाई योजना (पी.ओ.ए.) 1992 के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सीबीएसई को वर्ष 2002 से अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/ भेषजी/वास्तुकला प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) के संचालन का दायित्व सौंपा गया है ताकि मानित विश्वविद्यालयों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) के अंतर्गत आने वाले संस्थानों से इतर केन्द्रीय संस्थानों तथा राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थित संस्थानों में निःशुल्क तथा सशुल्क दोनों प्रकार की सीटों के लिए इंजीनियरिंग, भेषजी तथा वास्तुकला के कार्यक्रमों को उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों के व्यावसायिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के दोहराव को कम किया जा सके।

## जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा

एक वर्ष में तीन बार बोर्ड द्वारा जे.एन.वी. में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। ग्रीष्मबंद्ध विद्यालयों के लिए फरवरी, शरदबंद्ध विद्यालयों के लिए सितम्बर–अक्टबूर में इन परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। जे.एन.वी. द्वारा स्थापित नए विद्यालयों के लिए परीक्षा सितम्बर–अक्टूबर के स्थान पर जून तथा जुलाई 2008 में संचालित की गई। वर्ष 2008 में 13,99,000 परीक्षार्थी फरवरी/अप्रैल/जून/जुलाई माह में संचालित परीक्षाओं में बैठे।

## कक्षा नौवीं के लिए चयन परीक्षा

सीबीएसई द्वारा कक्षा नौवीं में प्रवेश परीक्षा का भी संचालन किया जाता है। जून 2009 में परीक्षा में 53144 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

## 8th All India Engineering Entrance Examination

The 8th All India Engineering Entrance Examination was conducted on 26th April 2009. In all there were 1460 examination centres located in 85 cities including Riyadh and Dubai. out of the 1010061 registered candidates 962119 appeared for the examination.

In pursuance of Programme of Action (POA), 1992 under the National Policy of Education (1986), the Government of India, Ministry of Human Resource Development assigned the responsibility to the CBSE for conducting the All India Engineering/Pharmacy/Architecture Entrance Examination (AIEEE) from the year 2002 with a view to reduce the multiplicity of tests for admissions to professional & technical programmes in the country and to cater to Engineering, Pharmacy and Architecture programmes offered in the Deemed Universities, Central Institutions other than those covered by Joint Entrance Examination (JEE) and institutions in the States Union Territories (UTS) for both the free/payment seats.

## Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test

The selection tests for admission to Class VI in JNVs are conducted by the Board thrice a year, February for summer bound schools, April for winter bound schools and September-October for newly established JNVs. For newly established JNVs, the examination was conducted in June 2009 in place of September/October. Similarly, a special examination for newly established JNVs was also conducted in June-July 2009. In the year 2008, 13,99,000 candidates appeared in February/April/June/July examinations.

## Selection Test for Class IX

The Central Board for Secondary Education also conducts the examination for admission to class IX. A total of 53144 candidates appeared in the examination, which was held in June 2009.

# ग्रेडिंग
# Grading

- ग्रेडिंग प्रणाली वर्ष 2009–10 शैक्षिक सत्र से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा IX एवं कक्षा X के लिए लागू की जा चुकी है। ग्रेडिंग योजना का विवरण विद्यालयों को सर्कुलर सख्यां 40 द्वारा परिचालित कर दिया गया है जो सीबीएसई की वेबसाईट www.cbse.nic.in पर भी उपलब्ध है।

## ग्रेडिंग योजना का उद्देश्य

- यह अंकों के आधार पर छात्रों के अनुचित वर्गीकरण को कम करेगी।
- यह उच्च लक्ष्य प्राप्त करने वालों के बीच हानिप्रद कटु प्रतियोगिता को दूर करेगी।
- यह समाजिक दबाव को कम करेगी और शिक्षार्थी को सीख के अवसर प्रदान करेगी।
- इससे एक बेहतर अधिगम वातावरण पर फोकस करेगी।
- इससे आनन्दमय और तनावमुक्त अधिगम को बढ़ावा मिलेगा।

## परीक्षा की योजना (ग्रेडिंग)

- छात्र के निष्पादन का निर्धारण संख्यात्मक अंकन की परम्परागत पद्धति से किया गया है ।
- विषयवार निष्पादन दर्शाने के लिए एक नौ बिंदु मान के आधार पर 'ग्रेड' प्रदान किए गये हैं।

- The Grading system has been introduced at Secondary School level (for Classes IX & X) effective from 2009-10 Academic Sessions. The details of grading scheme have been circulated to school vide circular 40 also available on website www.cbse.nic.in.

## Aim of Introducing the Scheme of Grading

- It will minimise misclassification of students on the basis of marks.
- It will eliminate unhealthy competition among high achievers.
- It will reduce societal pressure and will provide the learner with more flexibility.
- It will lead to a focus on a better learning environment.
- It will facilitate joyful and stress free learning.

## Scheme of Examinations (Grading)

- The student's performance has been assessed using a conventional method of numerical marking.
- The 'Grades' have been awarded on a nine point scale to indicate the subject wise performance.

| अंकों की श्रेणी | ग्रेड | ग्रेड अंक |
|---|---|---|
| 91–100 | ए1 | 10.0 |
| 81–90 | ए2 | 9.0 |
| 71–80 | बी1 | 8.0 |
| 61–70 | बी2 | 7.0 |
| 51–60 | सी1 | 6.0 |
| 41–50 | सी2 | 5.0 |
| 33–40 | डी | 4.0 |
| 21–32 | ई1 | ..... |
| 20 और इससे नीचे | ई2 | .... |

| Marks Range | Grade | Grade Point |
|---|---|---|
| 91-100 | A1 | 10.0 |
| 81-90 | A2 | 9.0 |
| 71-80 | B1 | 8.0 |
| 61-70 | B2 | 7.0 |
| 51-60 | C1 | 6.0 |
| 41-50 | C2 | 5.0 |
| 33-40 | D | 4.0 |
| 21-32 | E1 | --- |
| 20 and below | E2 | --- |

## अर्हक–मानदण्ड

- अध्ययन की योजना के अनुसार जो छात्र (अतिरिक्त विषय को छोड़कर) सभी विषयों में अर्हक ग्रेड (डी एवं ऊपर) प्राप्त करते हैं तो उन्हें एक अर्हक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- अध्ययन की योजना के अनुसार (अतिरिक्त विषय को छोड़कर) सभी विषयों में जिन्हें अर्हक ग्रेड (डी एवं ऊपर) प्रदान किया गया है वे कक्षा–XI में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित करने के चलन को समाप्त किया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम निम्नलिखित दर्शाएगाः

1. अर्हक प्रमाणपत्र के लिए पात्र (QUAL)
2. निष्पादन में सुधार के लिए पात्र (EIOP)

## विषयवार निष्पादन का विवरण

- सभी छात्रों को जारी किए जाने वाले ''विषयवार निष्पादन का विवरण'' में ग्रेड, ग्रेड बिंदु (जीपी) और संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) दर्शाये जायेंगे।

## Qualifying Criteria

- Those candidates who obtain the qualifying grades (D and above) in all the subjects excluding additional subject as per Scheme of Studies shall be awarded a Qualifying Certificate.
- Those awarded qualifying grades (D and above) in all the subjects excluding additional subject as per Scheme of Studies shall be eligible for admission in Class XI.
- The practice of declaring Compartment/ Fail has been discontinued. The result of candidate will now indicate:

1. Eligible for qualifying certificate (QUAL)
2. Eligible for improvement of performance (EIOP)

## Statement of Subjectwise Performance

- The "Statement of Subjectwise Performance" to be issued to all candidates will reflect the Grade, Grade Point (GP) and Cumulative Grade Point Average (CGPA).

- संचयी ग्रेड बिंदु औसत सभी विषयों (विषयों की योजना के अनुसार छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में प्राप्त ग्रेड बिंदु का औसत है ।
- ग्रेड बिंदु (जीपी) और संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) पर आधरित अंकों की प्रतिशतता का निर्धारण निम्नानुसार किया जा सकता है–
  - विषयवार अंकों की निर्देशात्मक प्रतिशतता= 9.5Xविषय का ग्रेड बिंदु
  - अंको का समस्त निर्देशात्मक प्रतिशतता = 9.5Xसीजीपीए

## माध्यमिक परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए पात्रता

यदि कोई छात्र एक अथवा सभी पांच विषयों में (अध्ययन की योजना के अनुसार छठें अतिरिक्त विषय को छोड़कर) ई1 या ई2 ग्रेड प्राप्त करता है तो वह एक अथवा सभी पांच विषयों में लगातार पांच प्रयासों द्वारा निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होगा।

## मेरिट प्रमाणपत्र

- बोर्ड उन छात्रों को मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिन्होंने अर्हक मानदण्ड के अनुसार माध्यमिक स्कूल परीक्षा में सभी पांच विषयों में (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) ए1, ग्रेड प्राप्त किया हो।

- Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the average of Grade Points obtained in all the subjects (excluding 6th additional subject as per Scheme of Subjects).
- Based upon Grade point (GP) and Cumulative Grade Point Average (CGPA), percentage of marks can be computed as under indicated.
  - Subject wise indicative percentage of marks =9.5xGP of the subject
  - Overall indicative percentage of marks =9.5xCGPA

## Eligibility for Improvement of Performance in Secondary Examination

A candidate obtaining Grade E1 or E2 in any or all the five subjects (excluding 6th additional subject as per the Scheme of Studies) shall be eligible for improvement of performance in any or all the five subjects through subsequent five attempts.

## Merit Certificate

- The Board will award a Merit Certificate to such candidates who have obtained Grade A1 in all the five subjects (excluding the 6th additional subject) at the Secondary School examination, as per the qualifying criteria.